


# लोक शिक्षण संचालनालय

## छत्तीसगढ़

खण्ड-3, प्रथम तल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

फोन नम्बर-0771-2511191, Email-Id dpi.mdm@gmail.com



क्र०/म.भो./601/प्र.पो. का संचा./7857

अटल नगर दिनांक 01/06/2022

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़

विषय - ग्रीष्मावकाश के पश्चात 16 जून 2022 से शाला प्रारम्भ के पूर्व प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के संचालन की तैयारी बाबत निर्देश।

संदर्भ - छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-2/2016/20-तीन दिनांक 20-04-2022

==00==

छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार, राज्य में ग्रीष्मावकाश पश्चात शिक्षा सत्र 2022-23 की कक्षाएँ 16 जून 2022 प्रारम्भ हो रही है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के संचालन संबंधी निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं -

1. दिनांक 16 जून 2022 से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संचालन हेतु पात्र समस्त प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक शालाओं के बच्चों को केवल गरम पका भोजन दिया जाना है।
2. शाला खुलने के पूर्व लम्बे समय से बंद किचन-सह-भण्डार की साफ-सफाई योजना के संचालनकर्ताओं एवं योजना में संलग्न रसोईयों से करा लिया जाना है।
3. खाना पकाने के सभी बर्तनों एवं तेल, नमक, मसाला सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के डिब्बों को अच्छी तरह से धोकर फ्रेश खाद्य सामग्रियों को रखा जाना है।
4. जून माह का चावल उचित मूल्य की दूकान से शालाओं को आबंटित किया जा चुका है। इसका भण्डारण उचित एवं साफ-सुथरी सुखे कक्ष में किया जाना है।
5. खाना पकाने के लिये पूर्व से ही ईंधन एवं चूल्हा की व्यवस्था कर ली जानी है।
6. बारिस के मौसम को ध्यान में रखते हुये किचन-सह-भण्डार में सावधानी एवं सतर्कता बरती जानी है।
7. भोजन के पूर्व बच्चों के साबुन से हाथ धोने के लिये उचित व्यवस्था की जानी है।
8. संचालनकर्ता स्व-सहायता समूहों के सदस्यों एवं रसोईयों को कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाना है।
9. बच्चों को खाना खिलाने के दौरान आपस में दूरी बनाकर बिठाया जाना है।
10. खाना पकाने एवं परोसने के दौरान रसोईयों को पूरे समय मास्क लगाकर रहना है।
11. शाला में हैण्ड सेनेटाइजर को किचन एवं खाद्य सामग्रियों से दूर रखा जाना है।
12. भोजन के लिये उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री एवं ताजी सब्जियों का ही उपयोग किया जाना है।
13. खाना पकाने के पूर्व सब्जियों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों को अच्छी तरह धोकर उपयोग में लाया जाना है।

14. योजना के संचालन हेतु पूर्व में समय-समय पर दिये गये समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है।
15. संचालनकर्ता महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों एवं रसोईयों को सर्दी, खासी, बुखार या किसी भी प्रकार से अस्वस्थ होने की स्थिति में शाला में प्रवेश नहीं दिया जाना है।
16. केन्द्रीकृत किचन से मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की स्थिति में संचालनकर्ता एन0जी0ओ0 को भी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जाना है।



01.06.

सुनील कुमार जैन (आई.ए.एस.)

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय,  
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

पृ0 क्र0/म.भो./601/प्र.पो. का संचा./7858 अटल नगर दिनांक 01/06/2022  
प्रतिलिपि-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण प्रभाग, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।



01.06

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय,  
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर